उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 02/2020/73/92-2-20-34जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 09 जनवरी,2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-बुलंदशहर के विकास खण्ड-डिबाई में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत नगरपालिका एवं विकास खण्ड स्तर पर कराये गये इण्टरलांकिग कार्य के प्राक्कलन गलत ढंग से स्वीकृत करने, डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या दि0 20-11-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-42/2019/499/92-2-19-34जांच/17 दिनांक 26-02-2019 द्वारा श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया, जिसे कालान्तर में श्री हुसैन के दिनांक 31-07-2019 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-125/2019/1906/92-2-19-34जांच/ 2017 दि0 18-09-2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-716/ ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-मु0बाद / 2019-20 दि0 24-08-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 02 आरोपों में से दोनो आरोप स्थापित पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2116/92-2-19-34जांच/2017 दिनांक 18-09-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री जव्वार हुसैन से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो कि उनके पत्र दि0 23-11-2019 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2,137.00 राजकोष में जमा करा दिये जाने एवं अपचारी अधिकारी के दि0 31-07-2019 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नही रह जाने के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी, श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-42/2019/499/92-2-19-34जांच/2017 दि0 26-02-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-02 /2020/73/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।